

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

बापू

बनाम

लक्ष्मीलाल रावतभाटा

कदमा

वाढ-५७

नं०

11/2022 सन्

ख म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>लिए गये। तन्की शामिल फाइल रहे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक २९/०१/२०२५ को पेश हो</p> <p>२९/०१/२०२५ पत्रावली पेश हुई। वादी तथा वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी तथा वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय में तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगावाई गई वावजूद वादी तथा वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में प्रकृष्ट में वादी की ओर से पैरवी हेतु उपस्थित नहीं होने से वाद-पत्र इसी स्तर पर अदम एजिडी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	